राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प. 7(491) परि/नियम/मु./2013 / 16421 जयपुर,दिनांकः 24/8/2016

कार्यालय आदेश 31 /2016

वर्तमान में वाहन विनिर्माताओं द्वारा अशक्त व्यक्तियों के द्वारा उपयोग में लिये जाने हेतु Invalid Carriage वाहनों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इसके विकल्प के तौर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अशक्त व्यक्तियों के द्वारा वाहन चलाने को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से स्थानीय स्तर पर अधिकृत वर्कशॉप या अन्य स्तर से सामान्य मोटर वाहनों पर अधिकृत किट लगाकर अनुरूप परिवर्तित (Retro-fitment) कर उपयोग में लिया जाता है, किन्तु यह परिवर्तन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 के अन्तर्गत परिवर्तन (Alteration) की श्रेणी में नहीं आता है। साथ ही इस फिटमेन्ट का स्मार्ट कार्ड पंजीयन प्रमाण–पत्र में पृष्ठांकन नहीं होने से इन वाहनों के लिए पंजीयन व लाईसेंस संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है। इस कारण से अशक्त व्यक्तियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

अतः अशक्त व्यक्तियों के द्वारा अनुरूप परिवर्तित कर उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के संबंध में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता हैः–

1. ऑटो क्लच/ऑटो गियर/ हैण्ड कंट्रोल व रेट्रो फिटेड वाहनों का पंजीयन नियमानुसार ' Invalid Carriage श्रेणी में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अनुरूप परिवर्तित वाहन मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 2(18) की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते है, जिसके फलस्वरूप इन वाहनों की श्रेणी परिवर्तित किया जाना संभव नहीं है।
2. सामान्य वाहनों में अधिकृत किट के किए गए रेट्रो फिटमेन्ट का इंद्राज स्मार्ट कार्ड पंजीयन प्रमाण पत्र में किये जाने का फील्ड/स्पेस उपलब्ध नहीं है। अतः अशक्त व्यक्तियों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली वाहन को सक्षम प्राधिकारी की संस्तुति के

पश्चात् पृथक से प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। जारी किये जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

3. बिन्दु संख्या 1 पर वर्णित प्रमाण पत्र में स्पष्ट व आवश्यक रूप से **'केवल अशक्त व्यक्तियों के उपयोग हेतु अनुरूप परिवर्तित वाहन अथवा केवल अशक्त व्यक्तियों के द्वारा उपयोग मे लिये जाने हेतु उपयुक्त वाहन'** यह अंकित किया जायेगा।
4. इन वाहनों को चलाने हेतु 'Invalid Carriage' श्रेणी का ही चालक लाईसेंस धारित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. इस प्रकार के प्रकरणों में स्वंय पंजीयन अधिकारी द्वारा यह संस्तुति की जायेगी कि संबंधित वाहन अशक्त व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लिये जाने हेतु उपयुक्त है तथा वाहन में किया गया रेट्रो–फिटमेंट अन्य किसी भी सड़क उपयोगकर्ता के लिये किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं करेगा।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
क्रमांकः प.7 (491) परि/नियम/मु./2013/1422-26 जयपुर, दिनांक : 24/8/2016

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त ।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण .....।
3. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी (समस्त).....।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

परिशिष्ट–I

अशक्त व्यक्तियों के द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के संबंध में प्रमाण पत्र

1. वाहन संख्या .....
2. वाहन स्वामी का नाम एवं पता .....
3. वाहन का विवरण
   (i) इंजन क्रमांक .....
   (ii) चैसिस क्रमांक .....
   (iii) पंजीयन क्रमाक.....
   (iv) मॉडल व वर्ष.....
   (v) रेट्रो फिटमेन्ट का विवरण.....
   (vi) वाहन की श्रेणी.....
4. जिस व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली जानी है उसके चालन लाईसेंस का विवरण .....
5. रिट्रो फिटमेन्ट अशक्त व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लिये जाने हेतु सुसाध्य है।...

.....

Photograph

हस्ताक्षर
जिला परिवहन अधिकारी